

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 224

दिनांक - 20/01/23

प्रार्थीगण  
1 धनेश कुमार 2 चेतनराम 3 बाबूराम 4 शिवदान 5 मुनालाल पिसरान पदमाराम 6 अणसीदेवी पत्नी पदमाराम 7 कालूराम 8 नारणाराम 9 नानगाराम 10 डालूराम 11 चेतनराम पिसरान उत्तमाराम जाति जाट निवासी असाड़ा की बेरी जसाई, तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 रेखाराम 2 जेठाराम 3 सोनाराम 4 तीलाराम पिसरान फरसाराम 5 पारुदेवी पत्नी फरसाराम 6 दयाराम 7 भीखाराम 8 गुमनाराम पिसरान उगराराम 9 सजनीदेवी पत्नी उगराराम 10 तीलाराम 11 रतनलाल पिसरान मदाराम 12 जमनादेवी पत्नी मदाराम 13 मोडाराम 14 तुलसाराम 15 रेखाराम पिसरान खेमाराम 16 जेठाराम 17 पुराराम पिसरान धरमाराम 18 चैनाराम 19 जोराराम 20 लुम्भाराम 21 जोगाराम पिसरान कासूराम 22 तगोदेवी पत्नी कासुराम 23 हेमाराम 24 गेरी पिसरान लुम्भाराम 25 जेठाराम 26 पुराराम पिसरान धरमाराम 27 पदमाराम 28 किशनाराम पिसरान सोनाराम 29 लाच्छी पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी नैनवा, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 86/2021

दिनांक- 12/01/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा असाड़ा की बेरी पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 94 रकबा 22.01 बीघा व खसरा संख्या 276/141 रकबा 24.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 20/01/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 225-28

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जसाई तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. धनेश कुमार पुत्र पदमाराम वगैराह जाति जाट निवासी असाड़ा की बेरी जसाई, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रेखाराम पुत्र फरसाराम वगैराह जाति जाट निवासी नैनवा, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर